

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़

10⁹/₂₅ आज चह पत्रावली पेयुडी।
बहुलाप उपरु कुरेणार लिपे पत
रुसा गणा वाडी कुपु रिवाडी कुरे
ने कुरेणार लिपे पत सहमति
दी गरी। जिफ रुपर कि रुक गड
पत्र के सहमति निहायल डिडी
मिपा जाग है। किल्लर निरीप
कलम ले लिप्य जीम शागि
मिप गणा पत्रावली जौनल रुम
होकर गवरा ले रुक है। वाड रुम
दाखले रुम है।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

2. प्रा. मुख्यतः राजा जालनारायण...

—: निर्णय :-

10.09.2025 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। विवादित वाद पत्र का दिनांक 02.07.2025 को प्रारम्भिक रूप से निर्णय किया जाकर प्राथमिक डिक्री वास्ते विभाजन आराजी कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु जारी की गई। तद्दानुसार तहसीलदार बहरोड़ ने विवादित आराजी को मौके पर तकसीम दिनांक 13.08.2025 को मौके पर तकसीम कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान के वकुलाय ने विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की तथा विभाजन प्रस्ताव को सही होना स्वीकार कर सहमति के हस्ताक्षर आदेशिका पर किये।

अतः मुताबिक रिपोर्ट कुर्रेजात/विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार से तकसीम किया जाता है।

1. आराजी खसरा नम्बर 2023 रकबा 0.28 है0 किता 1 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम गादोज तहसील बहरोड़ के कृष्णा देवी पत्नी अमरसिंह जाति अहीर साकिन देह खातेदार रहेगे।
2. आराजी खसरा नम्बर 2030 रकबा 0.32 है0 2091 रकबा 0.31 है0 ,2135 रकबा 0.24 है0 2154 रकबा 0.14 है0 ,2520 रकबा 0.24 है0, 2622 रकबा 0.14 है0 किता 6 रकबा 1.39 है0 वाके ग्राम गादोज तहसील बहरोड़ के गजराज पुत्र कन्हीराम हिस्सा 1/5, बलबन्त पुत्र कन्हीराम हिस्सा 1/5, भूपसिंह पुत्र कन्हीराम हिस्सा 1/5, शेरसिंह पुत्र कन्हीराम हिस्सा 1/5, सुभाष पुत्र कन्हीराम हिस्सा 1/5 जाति अहीर साकिन देह खातेदार रहेगे।
3. तहसीलदार बहरोड़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट इस निर्णय का भाग रहेगा। तथा इसी कदर हाल भू-अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 10.09.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

रामविशोर मीना-॥
उपमहसुद अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

—: पर्चा डिक्री :-

10.09.2025 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। विवादित वाद पत्र का दिनांक 02.07.2025 को प्रारम्भिक रूप से निर्णय किया जाकर प्राथमिक डिक्री वास्ते विभाजन आराजी कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु जारी की गई। तद्दानुसार तहसीलदार बहरोड़ ने विवादित आराजी को मौके पर तकसीम दिनांक 13.08.2025 को मौके पर तकसीम कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान के वकुलाय ने विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की तथा विभाजन प्रस्ताव को सही होना स्वीकार कर सहमति के हस्ताक्षर आदेशिका पर किये।

अतः मुताबिक रिपोर्ट कुर्रेजात/विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार से तकसीम किया जाता है।

4. आराजी खसरा नम्बर 2023 रकबा 0.28 है0 किता 1 रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम गादोज तहसील बहरोड़ के कृष्णा देवी पत्नी अमरसिंह जाति अहीर साकिन देह खातेदार रहेगे।
5. आराजी खसरा नम्बर 2030 रकबा 0.32 है0 2091 रकबा 0.31 है0 ,2135 रकबा 0.24 है0 2154 रकबा 0.14 है0 ,2520 रकबा 0.24 है0, 2622 रकबा 0.14 है0 किता 6 रकबा 1.39 है0 वाके ग्राम गादोज तहसील बहरोड़ के गजराज पुत्र कन्हीराम हिस्सा 1/5, बलबन्त पुत्र कन्हीराम हिस्सा 1/5, भूपसिंह पुत्र कन्हीराम हिस्सा 1/5, शेरसिंह पुत्र कन्हीराम हिस्सा 1/5, सुभाष पुत्र कन्हीराम हिस्सा 1/5 जाति अहीर साकिन देह खातेदार रहेगे।
6. तहसीलदार बहरोड़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट इस निर्णय का भाग रहेगा। तथा इसी कदर हाल भू-अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 10.09.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

रामकिशोर मीना-॥
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली बहरोड़)